

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

नामांतरण अपील वाद सं०-०६/२०१०-११

बंगाल सोरेन

बनाम

जगदीश टुडू, लाल टुडू, गोविन्द टुडू, शिकार टुडू एवं अरुण कुमार माझी

आदेश


17/07/18

यह अभिलेख बंगाल सोरेन, पिता स्व० दीकु माझी एवं टीपी माझीयान, ग्राम-प्रतापपुर, थाना-गम्हरिया जिला-सरायकेला-खरसावाँ के अपील आवेदन पर अंचल अधिकारी, गम्हरिया के नामांतरण वाद सं०-१०१३/२००९-१० दिनांक २१.०१.२०१० में पारित आदेश के विरुद्ध खोला गया है।

अपील सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया। निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख का मांग किया गया और उत्तरवादी को सूचना दी गई।

उभय पक्ष के अधिवक्ता एवं उभय पक्ष लंबी अवधि से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और न ही इस वाद की सुनवाई में कोई अभिरुची है। ऐसी परिस्थिति में लम्बे अवधि तक न्यायालय में वाद को लंबित नहीं रखा जा सकता है।

तदनुसार वाद की कार्यवाही बंद की जाती है।


17/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।